

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022—वैशाख 30, शक 1944

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 1 (1)-05-2022-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण के क्रमांक 247, दिनांक 12 मई 2022 में प्रकाशित वाष्पयंत्र निरीक्षकालय सेवा (अराजपत्रित) भरती नियम, 1976 की अनुसूची एक एवं दो का हिन्दी प्रकाशन असाधारण राजपत्र में त्रुटिवश नहीं किया गया है. अतः शुद्धिकरण अनुसार अनुसूची एक एवं दो हिन्दी निम्नानुसार पढ़ा जाए.

तरुण कुमार कटारे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

अनुसूची-एक  
(नियम 6 देखिए)

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	सहायक ग्रेड-एक	01	तृतीयश्रेणी	मेट्रिक्स-7 ₹ 28700-91300
2	शीघ्र लेखक	01	तद्वैव	मेट्रिक्स-7 ₹ 28700-91300
3	लेखापाल ग्रेड-दो	03	तद्वैव	मेट्रिक्स-6 ₹ 25300-80500
4	सहायक ग्रेड-दो	03	तद्वैव	मेट्रिक्स-6 ₹ 25300-80500
5	स्टेनो टायपिस्ट	02	तद्वैव	मेट्रिक्स-4 ₹ 19500-62000
6	सहायक ग्रेड-तीन	06	तद्वैव	मेट्रिक्स-4 ₹ 19500-62000

अनुसूची-दो  
(नियम 7 देखिए)  
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्यक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 7(1) (क) देखिए.	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 7(1)(ख) देखिए.	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 7(1)(ग) देखिए.	
1	2	3	4	5	6	7
औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश	सहायक ग्रेड-एक	01	—	100 प्रतिशत	—	—
	शीघ्र लेखक	01	—	100 प्रतिशत	—	—
	लेखापाल ग्रेड-दो	03	—	100 प्रतिशत	—	—
	सहायक ग्रेड-दो	03	—	100 प्रतिशत	—	—
	स्टेनो टायपिस्ट	02	100 प्रतिशत	—	—	—
	सहायक ग्रेड-तीन	06	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	<p>1. सहायक ग्रेड-3 के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।</p> <p>2. 20 शब्द प्रति मिनट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमान द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) प्रमाणपत्र (स्कोर कार्ड)।</p> <p>3. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी भी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा आवश्यक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए</p> <p>(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा</p> <p>(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा</p> <p>(घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मैनेजमेंट एवं सचिवालय कार्य पाठ्यक्रम।</p> <p>4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.06.2009 के अनुसार, तीन वर्ष की परीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें असफल रहने पर, उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-10/03/3/एक दिनांक 01.04.2003 के अनुसार, 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त वर्णित शर्त से छूट प्राप्त होगी।</p>

शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. बरौनिया, अपर सचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 2-3-2022-सात-शा. 7

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (एक-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किंग गे अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :-

## नियम

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे; परन्तु इन नियमों के नियम 5 के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

## 2. परिभाषाएं:-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959);
  - (ख) 'साइबर तहसीलदार' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त साइबर तहसीलदार;
  - (ग) 'इलेक्ट्रॉनिक संदेश' से अभिप्रेत है, ई-मेल, शॉर्ट मेसेज सर्विस (एसएमएस) या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधन, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत किए जाएं, के माध्यम से कोई संदेश परिदत्त करना;
  - (घ) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से सलग्न प्ररूप;
  - (ङ) 'पंजीकृत दस्तावेज' से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (कमांक 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज;

- (च) 'रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त, वरिष्ठ उप-पंजीयक को सम्मिलित करते हुए, उप-पंजीयक;
- (छ) 'धारा' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा; तथा
- (झ) 'क्षेत्रीय तहसीलदार' से अभिप्रेत है, धारा 19 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) तथा उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो तहसील या उसके भाग के क्षेत्र पर क्षेत्राधिकारिता रखता हो;
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता तथा इसके अधीन बने नियमों में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो संहिता या उक्त नियमों में उन्हे उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।
3. नामांतरण तथा खाते का विभाजन नियम का लागू होना:—साइबर तहसीलदार द्वारा व्यवहृत किए जाने वाले समस्त मामलों की कार्यवाहियों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 में दी गई प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
4. पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन की प्रज्ञापना:— रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप-क में, निष्पादक की घोषणा प्ररूप क-1, दावेदार की घोषणा प्ररूप क-2 तथा मामले की फीस की रसीद के साथ, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजी जाएगी। ऐसी प्रज्ञापना, भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बारे में, धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट मानी जाएगी।
5. नामांतरण या खाते के विभाजन के लिए रिपोर्ट या आवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण:—

- (1) नामांतरण अथवा खाते के विभाजन के लिए रिपोर्ट या आवेदन साइबर तहसील में न्याय निर्णयन हेतु रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) या सत्यापन के लिए किसी अन्य सिस्टम द्वारा जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के पश्चात्, ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परंतु ऐसे अर्जन से संबंधित कोई दस्तावेज, रिपोर्ट या आवेदन के संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि वे पंजीयन विभाग या आयुक्त भू-अभिलेख, जैसी भी स्थिति हो, की वेबसाइट पर उपलब्ध हों और जो ऐसी रिपोर्ट या आवेदन में सम्यक् रूप से संदर्भित किये गये हों।

- (2) यदि रिपोर्टकर्ता व्यक्ति, दावेदार या आवेदक एक से अधिक हैं, तो उनमें से सभी को,—

(क) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति में अपनी पहचान स्थापित करना होगी; तथा

(ख) अपनी रिपोर्ट या आवेदन संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

- (3) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट साइबर तहसीलदार को प्ररूप-ख में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से की जायेगी।

- (4) कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारित भूमि के मामले में—

(एक) धारा 178 के अधीन खाते के समस्त सहखातेदार खाते में उनके हिस्सों के विभाजन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन प्ररूप-ग में; और

(दो) धारा 178-क के अधीन भूमिस्वामी अपने खाते के विभाजन के लिये आवेदन प्ररूप-घ में;

साइबर तहसीलदार को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप से ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से कर सकेगा।

- (5) कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में, एक ही कार्यवाही के माध्यम से नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार

संयुक्त आवेदन का प्ररूप-ड में साइबर तहसीलदार को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से कर सकेंगे।

6. मामले का पंजीकरण:-

- (1) नियम 4 के अधीन प्रज्ञापना पर या नियम 5 के अधीन रिपोर्ट या आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मामला पंजीकृत किया जाएगा और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक जनरेट किया जाएगा। राजस्व प्रकरण क्रमांक संबंधित क्षेत्रीय तहसीलदार के न्यायालय की वाद सूची का भाग होगा और साइबर तहसीलदार द्वारा न्याय निर्णयन किए जाने वाले मामलों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) नियम 4 के अधीन प्रज्ञापना पर मामले के पंजीयन के पश्चात् निष्पादक तथा दावेदार को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्ररूप-च में इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस जारी किया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर तामील किया जाएगा।
- (3) उप नियम (2) के अधीन जारी नोटिस का प्रत्युत्तर ऐसे नोटिस में उल्लिखित वेब लिंक पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।

7. सार्वजनिक नोटिस का जारी किया जाना:-

- (1) साइबर तहसीलदार द्वारा नामांतरण के मामले में प्ररूप-छ में तथा कृषि भूमि के खाते के विभाजन के मामले में प्ररूप-ज में, सार्वजनिक नोटिस,-
  - (क) रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की बेवसाईट पर;
  - (ख) तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर; और
  - (ग) यथास्थिति, ग्राम पंचायत या म्युनिस्पैलिटी के कार्यालय के सूचना पटल पर :
 इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा।
- (2) क्षेत्रीय तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक नोटिस के प्रदर्शन का अनुवर्तन, साइबर तहसीलदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिवेदित करवाया जाएगा।
- (3) सार्वजनिक नोटिस संबंधित ग्राम के या स्थानीय निकाय के वार्ड के व्यक्तियों को, आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालय में उपलब्ध मोबाईल फोन नम्बरों के डाटाबेस में यादृच्छिक रूप से (रेन्डमली) चयन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से भी भेजा जाएगा।

- (4) उप नियम (1) के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिस का प्रत्युत्तर ऐसे नोटिस में उल्लिखित वेब लिंक पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।
8. पटवारी या नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन:—
- (1) प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए साइबर तहसीलदार द्वारा, यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक की ओर, प्ररूप-झ में ज्ञापन जारी किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचारित किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन जारी ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, यथास्थिति पटवारी या नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन प्ररूप-ज में साइबर तहसीलदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
9. क्षेत्रीय तहसीलदार की ओर मामले का संचारण:—
- (1) यदि नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिसके प्रत्युत्तर के रूप में या मामले के संबंध में, यथास्थिति पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक के प्रतिवेदन में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो मामला रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा क्षेत्रीय तहसीलदार को संचारित किया जाएगा। मामले से संबंधित पक्षकारों को ऐसे संचारण के विषय में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचित किया जाएगा।
- (2) उप नियम (1) के अधीन संचारित किए गए समस्त मामलों में क्षेत्रीय तहसीलदार द्वारा न्याय निर्णयन किया जाएगा।
10. आदेश का पारित किया जाना:—
- (1) धारा 110 की उप-धारा (5) या धारा 178 या धारा 178-क के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व, साइबर तहसीलदार सत्यापित करेगा कि—
- (क) रिपोर्ट या आवेदन में सभी अपेक्षित जानकारियां अन्तर्विष्ट हैं;
- (ख) प्रश्नाधीन भूमि सम्यक् रूप से वर्णित है और भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों की तुलना में कहीं कोई भिन्नता नहीं है; तथा
- (ग) रिपोर्ट या आवेदन उसी व्यक्ति या उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके/जिनके द्वारा उसे निष्पादित किया जाना आशयित है।
- (2) उप-नियम (1) में उपबंधित अनुसार सत्यापन किए जाने पर नामांतरण के मामले का निराकरण धारा 110 में अविवादित मामले के लिए विहित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।
11. आदेश और अद्यतीकृत भू-अभिलेखों की प्रति:—आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, साइबर तहसीलदार भू-अभिलेखों में तत्काल आवश्यक अद्यतनीकरण करेगा। इसके पश्चात् वह इनकी प्रतियां सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से भेजेगा।

प्ररूप — क  
(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

पंजीकृत दस्तावेजों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की प्रज्ञापना

प्रति,

साइबर तहसीलदार/तहसीलदार

.....  
.....

पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक ..... के साथ निष्पादक और दावेदार द्वारा क्रमशः प्ररूप क-1 तथा प्ररूप क-2 में उप पंजीयक के समक्ष किए गए घोषणा पत्रों और मामले की फीस की रसीद आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न हैं। दस्तावेज में अभिलिखित दस्तावेज की प्रकृति और संव्यवहार की श्रेणी ..... है।

उप पंजीयक का नाम .....

.....

स्थान .....

जिला .....

दिनांक .....

\*यह कम्प्यूटर जर्नेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।



प्ररूप -- क-1  
(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

निष्पादक द्वारा घोषणा

प्रति,

साइबर तहसीलदार / तहसीलदार

.....

.....

समक्ष- उप पंजीयक .....

1. मैं/हम --

नाम	माता/पिता/पति /संरक्षक का नाम	पूर्ण पता	ई-मेल पता	मोबाईल फोननं.	'पहचान पत्र का नाम और उसका नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

'आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पेन नम्बर (जो लागू हो, उसका उल्लेख करें)

एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम परिवचन करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

2. मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ/के हैं और मैं/हम भूमि को ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी जनजाति का नहीं है को अंतरित कर रहा हूँ/रहे हैं, अतः ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. .... दिनांक..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ/के हैं, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

अथवा

मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं, अतएव अंतरित की जा रही भूमि के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3. मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि नहीं है, अतएव ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. .... दिनांक ..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि है, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

अथवा

मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं, और अंतरित की जा रही भूमि न तो अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है और न ही कृषि भूमि है, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

4. मैं/हम अंतरित की जा रही भूमि के, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 के अधीन या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन, भूमिस्वामी हूँ, अतएव कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. .... दिनांक ..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं/हम अंतरित की जा रही भूमि के, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 के अधीन या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन, भूमिस्वामी नहीं हूँ, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

5. भूमि मेरी/हमारी पैतृक सम्पत्ति है तथा मैं/हम अंतरित की जा रही सम्पत्ति के एकमात्र/संयुक्त स्वामी हूँ।

अथवा

भूमि मेरी/हमारी स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा मैं/हम अंतरित की जा रही सम्पत्ति के एकमात्र/संयुक्त स्वामी हूँ।

6. अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद लंबित नहीं है।

अथवा

अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष लंबित वाद के विवरण निम्नानुसार हैं :-

न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकारी का नाम	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण के पक्षकारों के नाम व पते
(1)	(2)	(3)

7. अंतरित की जा रही भूमि सभी प्रकारों के भारों तथा विल्लंगमों से मुक्त है।

अथवा

आज दिनांक को भूमि पर निम्नानुसार भार तथा विल्लंगम आदि अस्तित्वमान हैं :-

भारों अथवा विल्लंगमों के ब्यौरे .....

8. मैं/हम इस भूमि को अन्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार रखता हूँ/रखते हैं तथा अन्तरित की जाने वाली भूमि के अन्तरण के संबंध में कोई अन्य अन्तरण विलेख, अनुबंध या मुख्तयारनामा आज दिनांक को अस्तित्व में नहीं है।

9. अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन भू-अर्जन की कोई कार्यवाही आज दिनांक को प्रचलित नहीं है।

10. अंतरित की जा रही भूमि किसी सरकारी योजना के अधीन अर्जित नहीं की गई थी या और किसी लोक प्रयोजन के उपयोग में नहीं है।

(जो लागू न हो, काट दें)

स्थान .....

नाम तथा हस्ताक्षर .....

दिनांक .....



\*आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पेन नम्बर (जो लागू हो, उसका उल्लेख करें)

3. भूमि तथा अधिकारों या हितों के विवरण :-

क्रमांक	पटवारी हल्का/सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर अधिकारों/हितों का अर्जन हुआ है	अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम (जैसा कि पैरा-1 के कॉलम (2) में दिया गया है।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों के अंश/क्षेत्रफल	इस अर्जन को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति के खाते का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	दो फसलीय सुनिश्चित सिंचाई	एक फसलीय सुनिश्चित सिंचाई	सूखी भूमि
(8)	(9)	(10)	(11)

4. जमा की गई फीस का विवरण :-

(रुपये में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	फीस की रसीद का विवरण
(1)	(2)	(3)

1. मैं/हम (विवरण ऊपर दिये गए हैं) एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम परिवचन करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

2. मैंने/हमने इस संव्यवहार से संबंधित नामांतरण के लिए किसी अन्य पदाधिकारी या न्यायालय के समक्ष आवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

3. मैं/हम इस आवेदन या रिपोर्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग से हूँ/हैं।

अथवा

मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग से नहीं हूँ/नहीं हैं और ऐसी भूमि के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

5. अंतरित की जा रही भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बाद मेरी/हमारी ओर से मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

(जो लागू न हो, काट दें)

स्थान .....

नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक .....

प्ररूप- ख

(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया ) नियम, 2022 के नियम 5 के अनुसरण में नामांतरण के लिए रिपोर्ट या आवेदन

प्रति,

तहसीलदार, तहसील ..... जिला ..... (साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

मैं/ हम एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध एवं भूमि में के अधिकारों तथा हितों की अर्जन रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकारों या हितों को अर्जित करने वाले व्यक्तियों के विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	

	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

2. भूमि-स्वामी की मृत्यु के मामले में मृतक का, भू-अभिलेख में उल्लेखित विवरण

1	मृतक भूमिस्वामी का नाम	
	माता/ पिता / पति का नाम	
	भू-अभिलेख अनुसार - खाता क्रमांक ग्राम/ नगरीय क्षेत्र पटवारी हलका/ सेक्टर क्रमांक तहसील जिला	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	मृत्यु दिनांक	
	मृत्यु प्रमाण पत्र के विवरण (प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक व किसके द्वारा जारी किया गया)	

3. उन व्यक्तियों के विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/ त्यजन किया गया है:

1	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	नाम	



माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
लिंग	
आयु	
अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
पता	
मोबाइल फोन नंबर	
ई-मेल पता	

## 4. भूमि तथा अधिकारों या हितों के विवरण:-

जिला			
तहसील			
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक			
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम			
सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)
			भूमि का क्षेत्रफल जिस पर अधिकारों/हितों का अर्जन हुआ है। (हेक्टेयर में)
अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नाम और उनका हिस्सा, (यदि हिस्सा समान न हो तो पैरा-1 में दिए गए आवेदकों के क्रमानुसार)	अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का नाम	आई.डी. * का प्रकार एवं क्रमांक	हिस्सा
	1		
	2		
	3		
* आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्रायविंग लायसेंस/ पासपोर्ट /पेन नंबर आदि (जो भी लागू हो उसका उल्लेख करें)			

## 5. मृत भूमिस्वामी के विधिक वारिसों का विवरण

1	नाम	
	भाता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	मृत भूमिस्वामी से संबंध	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
	हिस्सा	
	2	नाम
माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम		
लिंग		
आयु		
मृत भूमिस्वामी से संबंध		
अनुसूचित जनजाति/ अन्य		
पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक		
पता		
मोबाइल फोन नंबर		
ई-मेल पता		
हिस्सा		

## 6. भूमिस्वामी अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार -

अनुक्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

1	विरासत द्वारा	मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाण का क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले कार्यालय का नाम व पता	मृत भूमिस्वामी के सभी विधिक वारिस क्रमांक 1 में दिये गये विवरण अनुसार आवेदक का क्रमांक एवं नाम
2	रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा	ई-रजिस्टर्ड वसीयत का क्रमांक व दिनांक	मृत भूमिस्वामी (वसीयतकर्ता के सभी वारिसों के द्वारा आवेदन किया जाना है)
3	रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा	ई-रजिस्टर्ड दान पत्र का क्रमांक व दिनांक	
4	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा	ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का क्रमांक व दिनांक	
5	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	ई-रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख का क्रमांक व दिनांक	
6	भूमि विनिमय द्वारा	ई-रजिस्टर्ड विनिमय दस्तावेज का क्रमांक व दिनांक	

7. जमा की गई फीस का विवरण:-

(रूपयों में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	फीस की रसीद का विवरण
(1)	(2)	(3)

## घोषणा

1. मैं/ हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल फोन नंबर ..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे जान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है/ मैं/हम यह भी समझता हूँ/ समझते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे/ हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

2. मैं/ हम निवेदन करता हूँ/ करते हैं कि भू अभिलेखों में नामांतरण इस रिपोर्ट/ आवेदन मे मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
3. यह मेरा/ हमारा नामांतरण की प्रथम रिपोर्ट है और मेरे / हमारे द्वारा कोई अन्य रिपोर्ट इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।
4. मेरे द्वारा पैरा-6 में उल्लेखित ई-रजिस्टर्ड दस्तावेज के निष्पादन की तिथि आवेदन दिनांक से 6 माह के पूर्व की नहीं है।

दिनांक .....

आवेदकगण का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान .....

1. ....

2. ....

3. ....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

\* साइबर तहसीलदार

• यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया ) नियम, 2022

खाते के विभाजन के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

हम, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 178) के अधीन नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार खाते में के हमारे हिस्से के विभाजन के लिए निवेदन करते हैं-

1. खाते के सभी सहखातेदारों/आवेदकों के विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	

पता	
मोबाइल फोन नंबर	
ई-मेल पता	

2. खाते के विवरण जिसका विभाजन किया जाना है:-

जिला			
तहसील			
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक			
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम			
सहखातेदारों द्वारा संयुक्त खाते में धारित कुल कृषिभूमि का विवरण (जैसा भू-अभिलेख में अभिलिखित है)	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)

3. प्रस्तावित विभाजन-

अनुक्रमांक	प्रस्तावित खातेदार का नाम	माता/ पिता/ अभिभावक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

4. रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख के मामले में विवरण:-

रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख क्रमांक.....  
दिनांक .....

5. जमा की गई फीस के व्यौरे-

(रूपये में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के व्यौरे
(1)	(2)	(3)

## घोषणा

1. हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल नंबर ..... एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है हम यह भी समझते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
2. हम निवेदन करते हैं कि खाते का विभाजन इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
3. यह हमारा खाते के विभाजन की प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदकगण के नाम तथा हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

3. ....

## भाग-दो

## अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

\* साइबर तहसीलदार

• यह कम्प्यूटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- घ

(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022  
भूमिस्वामी द्वारा जीवनकाल के दौरान खाते के विभाजन के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)  
मध्यप्रदेश

भाग-एक

में ..... (नाम) एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 178-क के अधीन अपने विधिक वारिसों के मध्य मेरे जीवनकाल के दौरान मेरे खाते का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार विभाजन के लिये निवेदन करता हूँ :-

## 1. आवेदक भूमिस्वामी का विवरण -

1	आवेदक का नाम (भूमिस्वामी)	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	

## 2. खाते का विवरण जिसका विभाजन किया जाना है-

जिला			
तहसील			
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक			
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम			
खाते की कृषि भूमि के विवरण (भू-अभिलेख में अभिलिखित अनुसार)	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रुपये में)



## 3. आवेदक भूमिस्वामी के समस्त विधिक वारिसों के विवरण -

1	विधिक वारिस-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	
2	विधिक वारिस-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	

## 4. प्रस्तावित विभाजन-

अनुक्रमांक	आवेदक एवं उसके विधिक वारिसों का नाम (प्रस्तावित विभाजन अनुसार)	माता/ पिता/ पति/संरक्षक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आवेदक (भूमिस्वामी)							
2	विधिक वारिस-1							
3	विधिक वारिस-2							

5. जमा की गई फीस के ब्यौरे-

(रूपयों में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

## घोषणा

- हम..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल फोन नंबर..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे जान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी समझता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- हम निवेदन करते हैं कि भू अभिलेखों में मेरे खाते का विभाजन इस आवेदन मे मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
- हम घोषणा करते हैं कि हम सभी (आवेदक भूमिस्वामी तथा उसके समस्त वारिस) प्रस्तावित विभाजन से सहमत है और हमे खाते के इस विभाजन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।
- यह मेरे खाते के विभाजन का प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

आवेदक तथा उसके विधिक वारिसों के नाम तथा

हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

1. आवेदक (भूमिस्वामी).....
2. विधिक वारिस-1 .....
3. विधिक वारिस-2 .....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

\* साइबर तहसीलदार

• यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- ड  
(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट एवं आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

हम ..... (नाम)..... एतद्वारा, भूमि में भूमिस्वामी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1059) की उपधारा (1) की धारा 109 के अधीन अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट तथा भू-अभिलेखों में नामांतरण और धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन का निवेदन करते हैं:-

1. भूमि में अधिकारों /हितों का अर्जन करने वाले व्यक्तियों / आवेदकों का विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/ त्यजन किया गया है:

1	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

3. विद्यमान भू-अभिलेख अनुसार भूमि का विवरण -

जिला										
तहसील										
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक										
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम										
सर्वे संख्यांक/ ब्लॉक नंबर/ प्लॉट नंबर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सर्वेक्षण संख्यांक</th> <th>क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</th> <th>क्षेत्रफल जिसपर भूमिस्वामी अधिकार/ हित का अर्जन हुआ है (हेक्टेयर में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल जिसपर भूमिस्वामी अधिकार/ हित का अर्जन हुआ है (हेक्टेयर में)						
सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल जिसपर भूमिस्वामी अधिकार/ हित का अर्जन हुआ है (हेक्टेयर में)								

4. भूमिस्वामी अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार -

अनुक्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाण का क्रमांक एवं दिनांक भूमिस्वामी का नाम और जारी करने वाले अधिकारी का पता का विवरण	

2	रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा	रजिस्टर्ड वसीयत का क्रमांक व दिनांक	
3	रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा	रजिस्टर्ड दान पत्र का क्रमांक व दिनांक	
4	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का क्रमांक व दिनांक	
5	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख का क्रमांक व दिनांक	
6	भूमि विनिमय द्वारा	रजिस्टर्ड दस्तावेज का क्रमांक व दिनांक	

## 5. नामांतरण उपरांत प्रस्तावित विभाजन-

जिला								
तहसील								
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक								
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम								
अनुक्रमांक	प्रस्तावित खातेदार का नाम	माता/ पिता/ अभिभावक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

## 6. फीस के ब्यौरे-

(रूपयो में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

## घोषणा

- हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल नंबर ..... एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है, हम यह भी समझते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- हम ज़िवेदन करते हैं कि भू अभिलेखों में हमारे खाते का विभाजन इस आवेदन ने हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
- यह हमारा खाते के विभाजन की प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

4. हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्टर्ड दस्तावेज के निष्पादन की तिथि आवेदन दिनांक से 6 माह के पूर्व की नहीं है।

दिनांक .....

आवेदकगण का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान .....

1. ....

2. ....

3. ....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति.

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

\* साइबर तहसीलदार

\* यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप - च  
(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....  
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. ....

आवेदन पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक .....

दस्तावेज के निष्पादक तथा दावेदार को नोटिस

प्रति,

1. श्री .....(रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादक)
2. श्री .....(रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज का दावेदार)

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में परिवर्तन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप, भू-अभिलेखों में विचाराधीन ऐसे परिवर्तन के संबंध में, दिनांक ..... के पूर्व अपनी आपत्तियां वेब लिंक ..... द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपके द्वारा दिनांक.....को या उसके पूर्व आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुरूची

जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विद्यमान भू-अभिलेखों में अंकित धारक/धारकों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

प्ररूप - छ  
(नियम 7 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....  
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. ....

प्रकरण क्रमांक .....

नामांतरण के मागले में सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में परिवर्तन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसके हित भू-अभिलेखों में विचाराधीन ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होना संभावित हों, दिनांक ..... के पूर्व अपनी आपत्तियां वेब लिंक ..... द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक.....को या उसके पूर्व आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू-खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विद्यमान भू-अभिलेखों में अंकित धारक/ धारकों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता	उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक ..... 'साइबर तहसीलदार का नाम .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।



प्ररूप - ज  
(नियम 7 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....  
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. ....

प्रकरण क्रमांक .....

खाते के विभाजन के मामले में सार्वजनिक नोटिस

जबकि

क्रमांक	आवेदकों के नाम	माता/पिता/पति का नाम	निवासी
(1)	(2)	(3)	(4)

ने इस न्यायालय के समक्ष नीचे विनिर्दिष्ट खाते में के, अपने-अपने हिस्से के विभाजन के लिए सहखातेदारों के रूप में आवेदन किया है।

या

नीचे विनिर्दिष्ट अपने खाते या उसके अंश के अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसों के मध्य विभाजन के लिए भूमिस्वामी के रूप में आवेदन किया है।

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

और उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, वेब लिंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करें। आपके द्वारा दिनांक ..... को या उसके पूर्व आपत्तियों को प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

खाते के विवरण

जिला..... तहसील..... पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक .....

ग्राम/नगर का नाम .....

खाता क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रुपये में)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

प्ररूप -झ

(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....  
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. ....

प्रकरण क्रमांक .....

ज्ञापन

प्रति,

पटवारी/नगर सर्वेक्षक .....

ग्राम तथा हल्का क्र. .... /नगरीय क्षेत्र तथा सेक्टर क्र. ....

तहसील ..... जिला .....

विषय :- भू-अभिलेखों में परिवर्तन के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

श्री/श्रीमती ..... माता/पिता/पति ..... .. ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम .....  
तहसील ..... जिला ..... द्वारा प्रस्तुत भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्ट/आवेदन  
संलग्न है। दस्तावेज का पंजीयन क्रमांक ..... है, और दस्तावेज का अवलोकन लिंक को क्लिक  
करकिया जा सकता है।

2/ कृपया अपना प्रतिवेदन प्ररूप-ज में दिनांक ..... तक प्रस्तुत करें।

स्थान .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

दिनांक .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

प्ररूप -ज  
(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

प्रकरण क्रमांक .....

पटवारी/नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन

प्रति,

साइबर तहसीलदार

1. मामले से संबंधित ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर भू-अभिलेख में प्रस्तावित परिवर्तन करने में कोई बाधा प्रतीत होती हो।

अथवा

भू-अभिलेखों में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित आपत्तियों के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता (कृपया मामले पर लागू आपत्तियों को चिन्हित (✓) करें) -

- (1) दस्तावेज का निष्पादक वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम भू-अभिलेखों में धारकके तौर पर अभिलिखित है।
- (2) संपूर्ण भूमि या उसका अंश भाग पूर्व से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अंतरित हो चुका है, यद्यपि भू-अभिलेखों में नामांतरण नहीं किया गया है।
- (3) लिखित में मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी भूमि के अंतरण पर रोक है या किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रतिबंधित है।
- (4) भूमि का अन्तरणकर्ता आदिम जनजाति वर्ग का है और भूमि का अंतरिती आदिम जनजाति से भिन्न वर्ग का है।
- (5) भूमि देवस्थानी भूमि या सेवा भूमि है, अथवा भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 के अधीन आवंटन द्वारा अर्जित है या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के भूमिस्वामी की है।
- (6) यह भूमि भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भू-अर्जन से संबंधित लंबित कार्यवाहियों की विषयवस्तु है।
- (7) मृत भू-धारी के समस्त उत्तराधिकारियों का आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है। छोड़े गए उत्तराधिकारियों के नाम, संबंध व पते नीचे दिए जा रहे हैं -

(8) अन्य कोई कारण (विवरण दें) .....

2. मैंने सभी संलग्न दस्तावेजों/प्ररूपों का अवलोकन किया है और उनकी जांच कर ली है।
3. प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज और कथन संलग्न प्रेषित हैं।

पटवारी/नगर सर्वेक्षक का नाम . .....

मोबाईल फोन नम्बर.....

दिनांक ..... पटवारी हल्का क्र. .... नगरीय क्षेत्र का नाम/सेक्टर क्र. ....

तहसील ..... जिला .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

क्र. एफ 2-3-2022-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2022-सात-शा. 7, दिनांक 19 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

No. F. 2-3-2022-VII-Se.7

Bhopal, the 19<sup>th</sup> May 2022

In exercise of the powers conferred by clause (i-b) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely:-

#### RULES

##### 1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil Ki Prakriya) Niyam, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Provided that the provisions of Rule 5 of these rules shall come into force on such date which the State Government may appoint by notification.

##### 2. Definitions-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-
  - (a) 'Code' means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
  - (b) 'Cyber Tahsildar' means a Cyber Tahsildar appointed under sub-section (4) of Section 19 of the Code;
  - (c) 'Electronic messaging' means delivering a message through e-mail, short message service (SMS) or such electronic means as may be permitted by the State Government from time to time;
  - (d) 'Form' means a Form appended to these rules;
  - (e) 'registered document' means document registered under the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908);

- (f) 'Registering Officer' means the Sub-registrar, including senior Sub-registrar, appointed under Section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908);
- (g) 'Section' means a Section of the Code; and
- (h) 'Territorial Tahsildar' means a NaibTahsildar or Tahsildar appointed under sub-section (1), sub-section (2) and sub-section (3) of Section 19 having territorial jurisdiction over the area of Tahsil or part thereof.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code and the Rules made thereunder shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code or said Rules.
3. Application of Namantaran and Khate ka Vibhajan Niyam -The procedure provided in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Bhu-Abhilekhon Me Namantaran) Niyam, 2018 and Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Krishi Khate ka Vibhajan) Niyam, 2020 shall be followed mutatis mutandis in the proceedings in all cases which are dealt with by Cyber Tahsildar.
4. Intimation on Acquisition of rights or interests in land through Registered Documents- The intimation under sub-section (2) of Section 109 in Form-A, along with declaration of executant in Form-A-1, declaration of claimant in Form-A-2 and receipt of case fee, shall be sent online on the website of Revenue Case Management System by the Registering Officer, Such intimation shall be treated as a report regarding acquisition of rights or interests in land, as required under Section 109:
5. Online Filing of report or application for mutation or partition of holding -
- (1) A report or application for mutation or partition of holding by the reporting person or applicant may be filed online through Revenue Case Management System for adjudication in Cyber Tahsil, after establishing his identity through Unique Identification Development Authority of India (UIDAI) or any other system of verification as may be approved by the State Government:

Provided that no document pertaining to such acquisition shall be required to be submitted as an attachment to the report or application, if they are available on the website of the Registration Department or Commissioner Land Records, as the case may be, and have been duly referenced in such a report or application,

- (2) If reporting persons, claimants or applicants are more than one, all of them shall have -
    - (a) to establish their identity in the manner as provided under sub-rule (1); and
    - (b) to file their report or application jointly.
  - (3) A report of a right or interest acquired in land by a person under sub-section (1) of section 109 shall be made in Form-B to the Cyber Tahsildar by an electronic system known as Revenue Case Management System.
  - (4) In case of land assessed for the purpose of agriculture,
    - (i) all co-tenure holders may jointly for partition of their shares in holding under section 178 in Form-C; and
    - (ii) a Bhumiswami may apply for partition of his holding under section 178A in Form-D; to the Cyber Tahsildar by an electronic system known as Revenue Case Management System.
  - (5) In case of land assessed for the purpose of agriculture, all interested parties may jointly submit a report and application for mutation and partition of holding through common proceeding in Form-E to the Cyber Tahsildar by an electronic system known as Revenue Case Management System.
6. Registration of Case-
- (1) On intimation under rule 4 or filing of a report or application under rule 5 the case shall be registered and revenue case number shall be generated by the Revenue Case Management System. The revenue case number shall be part of the cause list of the Court of concerned Territorial Tahsildar and shall be displayed in the list of cases to be adjudicated by Cyber Tahsildar.

- (2) After registration of case on intimation under Rule 4, the notice to the executant and claimant shall be issued electronically in Form-F through Revenue Case Management System forthwith and be served on them by Registering Officer.
  - (3) Response to notice issued under sub-rule (2) shall have to be submitted electronically on the web link mentioned in such notice.
7. Issuance of Public Notice –
- (1) The public notice shall be issued electronically, in case of mutation, in Form-G and in case of partition of holding of agricultural land in Form-H, for display on-
    - (a) website of Revenue Case Management System;
    - (b) notice board of Tahsil office; and
    - (c) notice board of office of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be;by the Cyber Tahsildar.
  - (2) Compliance of displaying the public notice shall be caused to be reported to the Cyber Tahsildar electronically by the Territorial Tahsildar.
  - (3) The public notice shall also be sent through electronic messaging on mobile phone number of persons of the concerned village or ward of local body, randomly selected from the database of mobile phone numbers available with the office of Commissioner Land Records.
  - (4) Response to public notice issued under sub-rule (1), shall have to be submitted electronically on the web link mentioned in such notice.
8. Report of Patwari or Nagar Sarvekshak–
- (1) For submission of the report, a memo to the Patwari or Nagar Sarvekshak, as the case may be, shall be issued and transmitted by the Cyber Tahsildar in Form -I electronically.
  - (2) In response to the memo issued under sub-section (1), the report of the Patwari or Nagar Sarvekshak, as the case may be, shall be submitted electronically in Form –J to the Cyber Tahsildar.

9. Transmission of the case to Territorial Tahsildar—
- (1) If any objection relating to the case is submitted as a response to public notice issued under sub-rule (1) of Rule 7 or any objection is presented in the report of Patwari or Nagar Sarvekshak, as the case may be, the case shall be transmitted to Territorial Tahsildar through Revenue Case Management System. The Concerned parties to the case shall be informed about such transmission electronically.
  - (2) All cases, transmitted under sub-rule (1), shall be adjudicated by the Territorial Tahsildar.
10. Passing of order-
- (1) Before passing an order under sub-section (5) of Section 110 or Section 178 or Section 178A, the Cyber Tahsildar shall verify that, —
    - (a) the report or application contains all the required information;
    - (b) the land in question is duly described, and there are no discrepancies vis-à-vis the entries in the land records; and
    - (c) the report or application is executed by the person or persons by whom it purports to have been executed.
  - (2) On verification as provided in sub-rule (1), the case of mutation shall be disposed of within the time limit as prescribed in section 110 for undisputed case.
11. Copy of Order and updated land records. - After passing of an order, the Cyber Tahsildar shall forthwith carry out necessary updation of land records. Thereafter he shall send its copies to all the parties through electronic messaging.



**FORM-A**

(Sec rule 4)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Registering Officer's intimation of registered documents**To  
The Cyber Tahsildar / Tahsildar,-----  
-----

The copy of the registered document no..... along with declarations by the executant and claimant in **Form A-1** and **Form A-2** respectively made before the Sub-Registrar and receipt of case fee are enclosed herewith for necessary action. The nature of the document and class of transaction recorded in the document is -----.

\*Name of Sub-Registrar-----

District-----

Place-----

Date-----

---

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-A-1**

(See Rule 4)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Declaration by the executant**

To  
The Cyber Tahsildar / Tahsildar

-----  
-----

Through- Sub-Registrar-----

1. I/we

Name	Name of Mother/Father/ Husband /Guardian	Full address	e-mail address	Mobile phone No.	*Name of id and its no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

\* Aadhar/Voter Id./ Driving Licence /Passport/PAN no. (mention whichever applicable)

hereby, declare that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also undertake that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and I am/we are transferring the land to the person(s) who does not belong to such tribe, therefore the permission of the Collector for such transfer has been taken vide his order No.-----, dated -----.

OR

I/we and the transferee/claimant belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), therefore no permission is required.

OR

I/we do not belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and there is no prohibition on the transfer of transferring land.

3. I/we and transferee/claimant do not belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and transferring land is situated in scheduled area and is not the agricultural land, therefore the permission of the Collector for such transfer has been taken vide his order No.-----, dated -----.

or

I/we and the transferee/claimant do not belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), and transferring land is situated in scheduled area and is the agricultural land, therefore no permission is required.

or

I/we and the transferee/claimant do not belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and transferring land is neither situated in scheduled area and is nor the agricultural land, therefore is no prohibition on such transfer of land.

4. I am/ we are a Bhumiswami of transferring land under Section 33 of the Madhya Pradesh BhoodanYagnaAdhiniyam, 1968 (No. 28 of 1968) or / under sub-section (3) of Section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), therefore the permission of the Collector for such transfer has been taken vide his order No.-----, dated -----.

Or

I am/we are a Bhumiswami of transferring land, but not the Bumishwami under Section 33 of the Madhya Pradesh BhoodanYagnaAdhiniyam, 1968 (No. 28 of 1968) or under sub-section (3) of Section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) therefore no permission is required.

5. The land is my/our ancestral property and I/we am/are the sole/joint owner of transferring property.

or

The land is my/our self-acquired property and I/we am/are the sole/joint owner of transferring property.

6. No suit before any Court, Tribunal or Authority related to transferring property is pending.

or

The details of the suits pending before the Court, Tribunal or Authority related to transferring property are as follows-

Name of the Court/ Tribunal/Authority	Case No.	Name and address of the parties to the case
(1)	(2)	(3)

7. The transferring land is free from all charges and encumbrances etc.

or

The following charges and encumbrances etc. are existing as on date, related to the transferring land –

Details of charges or encumbrances -----

8. I/we have full rights to transfer the land and no other transfer deed, agreement or power-of-attorney related to the transfer of transferring land exists as on date.

9. There are no land acquisition proceedings under any enactment for the time being in force is pending as on date related to transferring land.

10. The transferring land was not acquired under any Government Scheme or/and is not used for any public purpose.

(Strike out, which is not applicable.)

Place-----

Date-----

Name and Signature

**FORM-A-2**  
(See Rule 4)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Declaration by the claimant**

To  
The Cyber Tahsildar / Tahsildar

-----  
-----

\* Through- Sub-Registrar-----

I/We hereby report the acquisition of rights and interests in land and request for mutation in land records under Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959).

**1. Particulars of persons acquiring rights or interests-**

S. No	Name and Address	Name of Mother/Father/Husband /Guardian	Age	e-mail address	Mobile Phone number	Aboriginal tribe/ Other	*Name of Id and its No.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

\* Aadhar/Voter Id./ Driving License /Passport/PAN no. (mention whichever applicable)

**2. Particulars of persons whose rights or interests are transferred or assigned to the claimant -**

S. No	Name and Address	Name of Mother/Father/Husband /Guardian	Age	e-mail address	Mobile Phone number	Aboriginal Tribe/ Other	*Name of Id and its No.	Type of interest and its extent	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

\* Aadhar/Voter Id./ Driving License /Passport/PAN no. (mention whichever applicable)

**3. Particulars of land and rights or interests-**

S. No.	District	Tahsil	Patwarihalka /Sector no.	Name of village/ Urban area	Survey no./ Block no./ Plot no.	Area in hect. /sq.mtr.	Area of land over which rights/interests have been acquired	Names of persons acquiring rights/interests (as given in column (2) of Para-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Area/share of the persons acquiring rights/interests	Area of total holding of person after including this acquisition (in acres)		
	Assured Irrigation for two crop	Assured Irrigation for one crop	Dry land
(10)	(11)	(12)	(13)

**4. Details of fee deposited-**

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee
(1)	(2)	(3)

1. I/we (details given above) hereby, declare that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also undertake that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we have not presented a report or application for mutation regarding this transaction before any other official or Court.

3. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this report/application.

4. I/we belong to aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

or

I/we do not belong to the aboriginal tribe as notified by the State Government under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), and there is no prohibition on transfer of such land.

5. After acquiring the rights or interests in transferred land, there would be no violation of any provisions of the Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) on my/our part.

(Strike out, which is not applicable)

Date-----

Place-----

Name and Signature

## FORM-B

(See Rule 5)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022  
Report or Application for Mutation**

To,

Tahsildar Tahsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Cyber Tahsildar)

Madhya Pradesh

## PART – I

I/we hereby report acquisition of rights or interests in the land and request for mutation in land records under sub-section (1) of section 109 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, (No 20 of 1959).

## 1. Particulars of persons acquiring rights or interests:

1	Name of Applicant -1	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
	2	Name of Applicant -2
Name of Mother/Father /Husband/Guardian		
Gender		
Age		
Scheduled Tribe/Other		
Description, No of Identity Document and date		
Address		
Mobile phone No		
E-Mail Address		



## 2. Details of the deceased in case of death of Bhumiswami mentioned in the land record

Name of deceased Bhumiswami	
Name of Mother/Father/Husband	
According to land record- Holding No. Village/ Urban area PatwariHalka/Sector No. Tehsil District	
Scheduled Tribe/Others	
Date of Death	
Detail of Death certificate	
Certificate number, Issued by whom and date	

## 3. Particulars of persons by whom rights or interests/claim is transferred /assigned/renounced:-

1	Name	
	Name of Mother/ Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
2	Name	
	Name of Mother/ Father/Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

## 4. Particulars of land and rights or interests -

District				
Tahsil				
Patwari/Halka No./Sector No.				
Village/Urban Area Name				
Survey No./Block No./ Plot No.	Survey No.	Area (in Hectare)	Land revenue (in rupees)	Area of land over which Bhumiswami rights or interests has been acquired (Hectare)
Name of Person Acquiring rights or interests and their Share (If share are not equal, in sequence of applicants as given in para 1)	Name of person Acquiring rights or interests		ID type* and no.	Share
	1.			
	2.			
	3.			
* Aadhar/Voter Id./ Driving License /Passport/PAN no. (mention whichever applicable)				

## 5. Details of legal heirs of deceased Bhumiswami:-

1	Name	
	Name of Mother/Father/Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Relation with the deceased bhumiswami	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

	Share	
2	Name	
	Name of Mother/Father/Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Relation with the deceased bhumiswami	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
	Share	

## 6. Mode of Acquisition of rights or interests:-

s.no	Mode	Required Document No. and Date	Details of Document
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By Inheritance	Death Certificate Number, Date and the Name and Address of Issuing office	
2	By registered Will	Registered Will No. and Date	
3	By Registered Gift Deed	Registered Gift Deed No. and Date	
4	By Registered sale Deed	Registered sale Deed No. and Date	
5	By Renouncing Claims in Land	Registered Release Deed No. and Date	
6	By Exchange of land	Registered Deed of Exchange No. and Date	

## 7. Details of fee deposited-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

**DECLARATION**

1. I/we .....Son/Daughter/wife of .....Address(full address)Mobile no. .... hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/We also understand that in case of incorrect information submitted by me/us legal action may be taken against me/ us.
2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in the report.
3. This is the first report of mutation presented by me/us and no other report has been submitted before this court or in the Court of Territorial Tahsildar.
4. The date of execution of the e-registered document mentioned in para 6 by me is not earlier than 6 months from the date of the application

Date.....

Place.....

Name and Signature  
Of Applicants

- 1.
- 2.
- 3.

**PART – II  
ACKNOWLEDGEMENT**

To,

Shri/Smt./Ku. ....  
Son/Daughter/Wife of .....  
Address .....

The report submitted in Part – I above is hereby acknowledged.

Date .....

\*Cyber Tahsildar

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

## FORM-C

(Sec Rule 5)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022  
Application for the Partition of Holding**

To, -

Tahsildar Tahsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Cyber Tahsildar)

Madhya Pradesh

## PART - I

We .....(name) hereby request for partition of our share in holding under section 178 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) as per the particulars given below.

1. Particulars of applicants/ all Co-tenure holders of the holding:-

1	Name of Applicant -1	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
2	Name of Applicant -2	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

## 2. Particulars of Holding to be partitioned:-

District			
Tahsil			
Patwari/Halka No./ Sector No.			
Village/ Urban Area			
Details of agricultural land holding by all co-tenure (as recorded in land record)	Survey No. in the holding	Area (in Hectare)	Land Revenue (in rupees)

## 3. Proposed Partition

S.no.	Name of proposed tenure holder	Name of mother/father/husband/guardian	gender	age	Survey No.	Area in (hectare)	Land Revenue (in rupees)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

## 4. In case of registered partition deed its detail:

Registered Partition Deed No.....and Date.....

## 5. Details of fee deposited-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

**DECLARATION**

1. We .....Son/Daughter/wife of .....address (full address)  
Mobile no. .... hereby, declare that the information given by us is true  
and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been  
concealed by us. We also understand that in case of incorrect information  
submitted by us legal action may be taken against us.
2. We request that the partition of holding be made as per the information provided  
by us in the application.
3. This is the first application for partition of holding presented by us and no other  
application has been submitted before this court or in Territorial Tahsildar Court.

Date.....

Place.....

Name and Signature  
of Applicants

1.

2.

3.

**PART – II  
ACKNOWLEDGEMENT**

To,

Shri/Smt./Ku. ....

Son/Daughter/Wife of .....

Address .....

The application submitted in Part – I above is hereby acknowledged.

Date .....

\*Cyber Tahsildar

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-D**

(See Rule 5)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022  
Application for the Partition of Holding during lifetime by Bhumiswami**

To,

Tahsildar Tahsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Cyber Tahsildar)

Madhya Pradesh

**PART - I**

I .....(name) hereby request for partition of my holding during my life time among my legal heirs under section 178-A of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) as per the particulars given below.

## 1. Particulars of applicant Bhumiswami :-

1	Name of Applicant (Bhumiswami)	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

## 2. Particulars of Holding to be partitioned:-

District			
Tahsil			
Patwari Halka No./ Sector No.			
Village/ Urban Area			
Details of agricultural land in holding (as recorded in land record)	Survey No. in the holding	Area in Hectare	Land Revenue (in rupees)



## 3. Particulars of all legal heirs of applicant Bhumiswami

1	Name of legal heir-1	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Relation with applicant Bhumiswami	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
2	Name of legal heir-2	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Relation with applicant Bhumiswami	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

## 4. Proposed Partition

S.no.	Name of applicant and his legal heirs (According to proposed partition)	Name of mother/father/ husband/guardian	gender	age	Survey No.	Area in (hectare)	Land Revenue (in rupees)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Applicant- (Bhumiswami)							
2	Legal heir-1							
3	Legal heir-2							

Details of fee deposited-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

### DECLARATION

1. We .....Son/Daughter/wife of .....address (full address) Mobile no. .... hereby, declare that the information given by us is true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed by us. We also understand that in case of incorrect information submitted by us legal action may be taken against us.
2. We request that the partition of holding be made as per the information provided by Bhumiswami applicant in the application.
3. We declare that all of us (Bhumiswami applicant and his all legal heirs) agree with the proposed partition and we have no objection regarding this partition of holding.
4. This is the first application for partition of holding presented by Bhumiswami applicant and no other application has been submitted before this court or in Territorial Tahsildar Court.

Date.....

Place.....

Name and Signature

of Applicant and his legal heirs

1. Bhumiswami applicant- .....

2. Legal heir-1.....

3. Legal heir-2.....

**PART – II**  
**ACKNOWLEDGEMENT**

To,  
Shri/Smt./Ku. ....  
Son/Daughter/Wife of .....  
Address .....

The application submitted in Part – I above is hereby acknowledged.

Date ..... \*Cyber Tahsildar

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-E**

(See Rule 5)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Report for mutation and Application for Partition of Holding for common proceeding in case of  
land assessed for the purpose of agriculture**

To,  
Tahsildar Tahsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Cyber Tahsildar)

Madhya Pradesh

**PART – I**

We..... (Name) hereby, report acquisition of Bhumiswami rights or interest in land and request for mutation in land records under sub-section (1) of section 109 and partition of holding under section 178 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring rights or interest:-

1	Name of Applicant - I	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	

1	E-Mail Address	
2	Name of Applicant -2	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	

2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/assigned/renounced:-

1	Name	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	
	E-Mail Address	
2	Name	
	Name of Mother/Father /Husband/Guardian	
	Gender	
	Age	
	Scheduled Tribe/Other	
	Description, No of Identity Document and date	
	Address	
	Mobile phone No	

E-Mail Address	
----------------	--

## 3. Particulars of land according to existing land records:-

District			
Tahsil			
PatwariHalka No./Sector No.			
Village/Urban Area Name			
Survey No./Block No./ Plot No.	Survey No.	Area in Hectare	Area of land over which Bhumiswami right/Interest has been acquired (1hectare)

## 4. Mode of Acquisition of Bhumiswami right/interest:-

S.no	Mode	Required Document No. and Date	Details of document
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By Inheritance	Death Certificate No. and Date of deceased Bhumiswami with Name and Address of Issuing office	
2	By Registered Will	Registered Will No. and Date	
3	By Registered Gift Deed	Registered Gift Deed No. and Date	
4	By Registered sale Deed	Registered sale Deed No. and Date	
5	By Renouncing Claims in Land	Registered Release Deed No. and Date	
6	By Exchange of land	Registered Deed of Exchange No. and Date	

## 5. Proposed Partition after mutation:-

District	
Tahsil	
PatwariHalka No./ Sector No.	
Village/ Urban Area	

s.no.	Name of proposed tenure holder	Name of mother/father/husband/guardian	gender	age	Survey No.	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

. Details of fee deposited-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

### DECLARATION

- We ..... Son/Daughter/wife of ..... address..... (full address)  
Mobile no. .... hereby, declare that the information given by us is true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed by us. We also understand that in case of incorrect information submitted by us legal action may be taken against us.
- We request that partition in land records be made as per the information provided by us in the application.
- This is the first report of mutation and application for Partition of Holding for common proceeding in the case of land assessed for the purpose of agriculture presented by us and no other application has been submitted before this court or in any other Court.
- The date of execution of the registered document provided by us is not earlier than 6 months from the date of the application.

Date.....

Place.....

Name and Signature  
of Applicants

- 1.
- 2.
- 3.

### **PART – II ACKNOWLEDGEMENT**

To,

Shri/Smt./Ku. ....  
Son/Daughter/Wife of .....  
Address .....

The application submitted in Part – I above is hereby acknowledged.

Date .....

\*Cyber Tahsildar

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-F**

(see Rule – 6)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil Ki Prakriya) Niyam, 2022**

In the Court of Tahsildar, Tahsil.....District..... (Cyber Tahsildar) Madhya Pradesh

Application No. ....

Case No.....

Notice to executant and claimant of the document

To,

1. Shri .....

..... (Executant of the document registered by Registering Officer)

2. Shri .....

.....(Claimant of the document registered by Registering Officer)

It is hereby informed to you that the proceedings for change in land records as mentioned in Schedule below is under consideration before this Court. If you have any objection, you may file your objections before ..... (date) in respect of the change under consideration electronically, through the web link .....

In the event of failure to submit the objections on or before the .....(date); no objection will be considered.

**Schedule**

District	Tahsil	Patwari halka no/Sector no	Name of village/urban area	Survey no/Block no/Plot no	Area (in hectare/sq.mtr)	Name and Mother's/ Father's/Husband's name and address of holder's as recorded in existing land records	Name and Mother's Father's/Husband's name and address of person's in whose favour the change is under consideration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Given under my hand, this-----day of-----

Date-----

Cyber Tahsildar-----

**FORM-G**

(See Rule 7)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022**In the Court of Tahsildar, Tahsil.....District..... (Cyber Tahsildar)  
Madhya Pradesh**Public Notice in case of Mutation**

Case no-----

It is hereby informed to all persons that the proceedings for change in land records as mentioned in the Schedule below is under consideration before this Court. Any person whose interests are likely to be affected by such change in land records, may file his objections before----- (date) in respect of the change under consideration electronically, through the web link .....

In the event of failure to submit the objections on or before the ..... (date); no objection will be considered.

**Schedule**

District	Tahsil	Patwari halka no/Sector no	Name of village/urban area including its sector no	Survey no/Block no/Plot no	Area (in hectare/ sq.mtr)	Name and Mother's/ Father's/Husband's name and full address of holder's as recorded in existing land records	Name and Mother's/ Father's/Husband's name and full address of person's in whose favour the change is under consideration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Given under my hand, this-----day of-----

Date-----

\* Name of Cyber Tahsildar-----

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.



**FORM-H**

(See Rule 7)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Public Notice in case of Partition of Holding**In the Court of Tahsildar, Tahsil.....District..... (Cyber Tahsildar)  
Madhya Pradesh

Case no-----

Whereas,

S.N.	Names of applicants	Mother's/Father's/Husband's Name	Resident of
(1)	(2)	(3)	(4)

have applied to this court as a co-tenure holders for partition of their shares in the holding specified below.

Or

as a Bhumiswami for partition of his holding specified below or part hereof in his lifetime amongst his legal heirs.

(strike out what is not applicable)

And whereas, it is proposed to partition the said holding. all persons who are interested in the said holding are hereby informed that they should submit their objections electronically, if any;

In the event of failure to submit the objections on or before the ----- (date); no objection will be considered.

**Particular of holding**

District.....Tahsil.....Patwari Halka No/Sector No.....  
Name of Village/Town.....

Holding No	Survey No	Area (in hectare)	Land Revene (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)

Given under my hand, this-----day of-----

Date-----

\* Name of Cyber Tahsildar-----

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-I**

(Sec Rule8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

In the Court of Tahsildar, Tahsil.....District..... (Cyber Tahsildar)  
Madhya Pradesh

Case No-----

**Memo**To,  
Patwari/Nagar Sarvekshak-----  
Village and Halka No.-----/Urban area and Sector No.-----  
Tahsil-----, District-----**Subject :-**Submission of Report for change in land records.

A report of acquisition of rights or interests in land/application submitted by shri/smt-----Mother/ Father/Wife of----- Village/Name of Urban. area----- Tahsil----- District-----is herewith enclosed. The registration no. of document is-----, and the document may be viewed by clicking on the link.

(2) Please submit your report in the Form-J by----- (date).

Place-----

Date-----

\*Name of Cyber Tahsildar-----

\* This is a computer-generated document and it does not require signature.

**FORM-J**

(See Rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Cyber Tahsil ki Prakriya) Niyam, 2022

**Report of Patwari/Nagar Sarvekshak**

To

Case no-----

Cyber Tahsildar,  
-----  
-----

1. No such information is available regarding the matter, on the basis of which there appears to be any obstacle in making the proposed changes in the land records.

or

Proposed change in land records may not be allowed due to the following objections (Please tick (✓) the objections applicable to the case)-

- (1) The executant of the deed is not the person whose name is recorded as a holder in the land records.
- (2) The whole or part of the land has already been transferred to another person or institution, even though mutation has not been done in the land records.
- (3) According to a written communication available with me, the transfer of such land has been stayed or prohibited by order of the Court or competent authority.
- (4) The transferor of the land belongs to aboriginal tribe and the transferee belongs to non-aboriginal tribe.
- (5) The land is devsthani bhumi or sevabhumi, or acquired through allotment under BhudanYagna Adhinyam, 1968 or belongs to a Bhumiswami of sub-Section (3) of Section 158 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. of 20 of 1959).
- (6) The land is subject matter of the proceedings pending under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) or any other enactment for the time inforce regarding land acquisition.
- (7) All the successors of deceased land holder have not been mentioned in the application. The names, relation and addresses of left out successors are as given below.

.....  
(8) Any other reason (give details) .....

2. I have examined and perused all the attached documents/ forms.

3. The relevant documents and statements in support of the objections mentioned in the report are enclosed herewith.

Name of Patwari/Nagar Sarvekshak-----

Mobile phone Number-----

Date .....

Patwari halka no.-----Name of Urban Area/Sector no.-----

Tahsil-----, District-----

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRA SHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.